मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

आदेश

भोपाल, दिनांक 21 /08 / 2018

क्रमांक एफ 16–27/2016/पी–2/31, श्री अशोक रावणकर, सहायक यंत्री (से.नि.) के विरूद्ध कार्यालय कार्यपालन यंत्री, गांधी सागर बांध संभाग, गांधीसागर, जिला मंदसौर की पदस्थापना अवधि में भानपुरा नहर परियोजना की II यूनिट की पाईप लाईन आधारित वितरण प्रणाली तैयार किये जाने हेतु इंदिरा सागर परियोजना, पुनासा में किये गये कार्यो को देखने एवं ड्राइंग/डिजाइन लाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यो के प्रति लापरवाही बरती पाये जाने से विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16.11.2016 द्वारा श्री रावणकर को सेवानिवृत्ति उपरान्त देय पेंशन राशि में से 05 प्रतिशत पेंशन एक वर्ष के लिये वापस लिये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया, एवं विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18.09.2017 द्वारा निलंबन अवधि दिनांक 09.10.2014 से 11.01.2016 तक का नियमितीकरण इस शर्त के साथ किया गया कि श्री रावणकर को निलंबन अवधि में प्राप्त जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई राशि/स्वत्व देय नहीं होंगे किन्तु उपरोक्त अवधि केवल पेंशन प्रयोजन हेतु सेवा में व्यतीत अवधि मान्य होगी।

2/– श्री रावणकर द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष दिनांक 23.11.2017 को अपीलीय अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अधिरोपित शास्ति को न्याय संगत नहीं होना लेख करते हुए आदेश दिनांक 16.11.2016 एवं दिनांक 18.09.2017 को अपास्त करने का, निवेदन किया गया।

3/– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी–6–11/99/3/एक, दिनांक 05.01.2000 के अनुसार म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम–9(2)(1) के तहत पारित आदेश अपने आप में अंतिम आदेश है तथा ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

4/– अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अशोक रावणकर, तत्कालीन सहायक यंत्री (सेवानिवृत्त) द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–9 के अंतर्गत जारी दण्डादेश दिनांक 16.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन दिनांक 23.11.2017 को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी–6–11/99/3/एक, दिनांक 05.01.2000 के प्रावधान अनुसार अमान्य करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

/

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

21/8/18

......2

पृ. क्रमांक एफ 16–27/2016/पी–2/31 भोपाल, दिनांक 21/08/2018

प्रतिलिपि -

(1) प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

(2) मुख्य अभियंता, नर्मदा–ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग, इंदौर।

(3) अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, उज्जैन।

(4) उप सचिव, शाखा पी–1 जल संसाधन विभाग, मंत्रालय।

(5) कार्यपालन यंत्री, बाण सागर पक्का बांध संभाग क्रमांक–3, दवेलोंद।

(6) विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

(7) निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग।

(8) संबंधित श्री अशोक रावणकर, सेवानिवृत्त सहायक यंत्री
द्वारा:–प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को आदेश की प्रति तामील कराकर पावती इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(9) बेव मैनेजर (कार्यपालन यंत्री) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल कृपया आज ही विभाग की बेवसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(10) स्टाक फाईल

21/8/18

उप सचिव

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग